UPKS010031452025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

उपस्थित : जे0पी0यादव (एच.जे.एस.)–UP 6551

दाण्डिक निगरानी सं0–131/2025

रूपा देवी उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नी अशोक कुमार निवासिनी ग्राम समदा, मजरा जलालपुर शाना, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी।

....निगरानीकर्ती।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य।
2. आकाश उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्र बेनीप्रसाद
3. सरजू प्रसाद उम्र लगभग 49 वर्ष पुत्र चौबे
4. बेनी प्रसाद उम्र लगभग 51 वर्ष पुत्र चौबे
5. शिवम उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र सरजू प्रसाद
6. सरिता देवी उम्र लगभग 46 वर्ष पत्नी सरजू प्रसाद
7. अनारकली उम्र लगभग 49 वर्ष पत्नी बेनी प्रसाद

निवासीगण ग्राम समदा, मजरा जलालपुर शाना, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी।

....विपक्षीगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा–438 बी.एन.एस.एस.
थाना–चरवा, जनपद–कौशाम्बी।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी परिवाद सं0–640/2024 रूपा देवी बनाम आकाश आदि, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी के मामलें में विद्वान् अपर सिविल जज (जू0डि0)–द्वितीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 18.07.2025 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ती द्वारा दायर की गयी है।

2. उक्त आलोच्य आदेश जिन परिस्थितियों में पारित किया गया उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिनी रूपादेवी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 दिनांक 16.08.2024 को विद्वान् अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2024 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया और मामला परिवाद सं0–640/2024 रूपा देवी बनाम आकाश आदि, के रूप में दर्ज किया। उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 तथा गवाहान पी0डब्लू0–1 के रूप में सौरभ पटेल एवं पी0डब्लू0–2 के रूप में विजय सिंह पटेल का बयान अंतर्गत धारा–225 बी0एन0एस0एस0 विद्वान् अवर न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया।

दिनांक 18.07.2025 को विद्वान् अपर सिविल जज (जू0डि0)–द्वितीय / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 एवं गवाहों के बयान अतर्गत धारा–225 बी0एन0एस0एस0 तथा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त परिवाद खारिज किया गया। इस प्रकार उक्त तिथि को प्रश्नगत आदेश विद्वान अपर सिविल जज (जू0डि0)–द्वितीय / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित किया गया।

3. मैंने निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा विपक्षी सं0–2 लगायत 6 के विद्वान् अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया। विपक्षी सं0–7 नोटिस तामीला के बावजूद न्यायालय उपस्थित नहीं हुई।

4. निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर प्रश्नगत् आदेश पारित किया है। उसने परिवाद उपरोक्त में बयान अंतर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस0 में घटना का पूरी तरह से समर्थन किया है, जिसे अवर न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर आदेश पारित किया गया है। उसके परिवाद उपरोक्त के साक्षी सौरभ पटेल व विजय सिंह के बयान अंतर्गत धारा–225 बी0एन0एस0एस0 का अवर न्यायालय ने अवलोकन नहीं किया है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश केवल उसके पुत्र विपिन के विरूद्ध एक मु0अ0सं0–166 / 2024 धारा–75(2), 352 बी0एन0एस0 का मुकदमा खुशबू के द्वारा दर्ज करायी प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र के आधार पर पारित किया है। अवर न्यायालय ने अपने प्रश्नगत् आदेश में शिकायती प्रार्थना पत्र के जांचकर्ता मनोज कुमार सिंह रघुवंशी क्षेत्राधिकारी चायल की जांच आख्या में उसके घर के सामने ब्रेकर बना होना और विपक्षीगण द्वारा ट्रैक्टर व जेसीबी से टूट जाने की बात स्वीकार की गयी थी फिर भी अवर न्यायालय ने घटना होते हुए भी केवल मु0अ0सं0–166 / 2024 को आधार मानकर प्रश्नगत् आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय ने न तो उसके बयान और न ही अन्य साक्षी के बयान को पढ़ा बल्कि सरकारी तौर पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट को आधार मानकर प्रश्नगत् आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले के तथ्यों को देखते हुये विधिक दृष्टि से सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आदेश की पुष्टि की जानी चाहिये और पुनरीक्षण खारिज किया जाना चाहिये।

6. विपक्षी सं0–2 लगायत 6 के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित आपत्ति 22क प्रस्तुत करते हुए दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर सम्यक् रूप से विधिक विचारण व मनन, परिशीलन, अध्ययन

के पश्चात् प्रश्नगत् आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि, अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं हुई/न की गयी है। उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ती के पुत्र द्वारा मु0अ0सं0–166/2024 अन्तर्गत धारा–75(2), 352 बी0एन0एस0 किया गया था, जिसके सम्बनध में उसके पुत्र के विरूद्ध उक्त मुकदमा की प्राथमिकी पंजीकृत की गयी, जिसकी विवेचना के क्रम में निगरानीकर्ती के पुत्र के विरूद्ध अपराध के समर्थन एवं पुष्टि में पुष्टिकारक साक्ष्य पाये जाने/उक्त अपराध कारित किया जाना समर्थित होने के आधार पर ही उसके पुत्र के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया, जिसमें दबाव बनाये जाने की दृष्टि से ही निगरानीकर्ती द्वारा वर्तमार परिवादपत्र भ्रामक, निराधार, उपार्जित/उत्पादित अभिकथन/आरोप के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें रंच मात्र सत्यता नहीं रही है, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त अवर न्यायालय द्वारा उसके परिवादपत्र को निरस्त कर दिया गया। प्रश्नगत् आदेश वाह्य एवं असंगत सामाग्री के आधार पर नहीं पारित किया गया है अपितु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सूक्ष्मता एवं गहनता से अवलोकन परिशीलन के पश्चात् पारित किया गया है। निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी असत्य विधि विरूद्ध व निराधार है तथा मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। अतः विद्वान् अवर न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुये निगरानी खारिज की जानी चाहिए।

7. अब यदि प्रश्नगत् आदेश का विश्लेषण निगरानी याचिका में वर्णित आधारों, निगरानी पर हुयी बहस एवं विधि के आलोक में करें तो प्रश्नगत् आदेश पारित करते हुये विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह वर्णित किया है कि पत्रावली पर संलग्न आपत्ति प्रार्थना पत्र का सम्यक् अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से यह विदित हुआ कि परिवादिनी के परिवादपत्र में कथित घटना के पूर्व विपक्षी सं0–2 सरजू प्रसाद की पुत्री खुशबू द्वारा थाना हाजा पर इस आशय का दिनांक 23.07.2024 को प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 06.07.2024 को जब प्रार्थिनी अपने खेत से काम करके लौट रही थी तब समय करीब 06.35 बजे शाम प्रार्थिनी जैसे ही गांववाले रास्ते पर आयी तो परिवादिनी का पुत्र विपिन सामने से आकर प्रार्थिनी का रास्ता रोक कर बोला कि उस दिन पूरी बात नहीं हो पायी थी, आज तो सुन लो। यह कहकर प्रार्थिनी का दुपट्टा छूना चाहा तो प्रार्थिनी ने एक थप्पड़ मारा और जोर–जोर से चिल्लाने लगी। यह देखकर विपिन वहां से भाग गया। उक्त व्यक्ति इससे पहले भी प्रार्थिनी से छेड़खानी कर चुका है, जिसकी शिकायत दिनांक 12.09.2023, 28.05.2024 व 06.07.2024 को दिया लेकिन विपिन का कोई रिश्तेदार पुलिस में है, जिसके प्रभाव में वह बार–बार बच जाता है। उक्त के बाबत विपिन के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0–166/2024 अन्तर्गत धारा–75(2), 352 बी0एन0एस0 दर्ज की गयी है तथा आरोपपत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के पुत्र के विरूद्ध दर्ज मुकदमे के कारण व रंजिशन विपक्षीगण पर दबाव बनाने हेतु परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि परिवादिनी द्वारा पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांचकर्ता मनोज कुमार सिंह रघुवंशी क्षेत्राधिकार चायल

के द्वारा जांच में यह पाया गया है कि परिवादिनी के घर के सामने कच्चा ब्रेकर बना हुआ था, जो विपक्षी द्वारा ट्रैक्टर व जे.सी.बी. ले जाते समय टूट गया। इसी बात को लेकर परिवादिनी व विपक्षी के मध्य कहा सुनी हुई थी। शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.07.2024 को उभयपक्षों के विरूद्ध धारा—126 / 135 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही की जा चुकी है। परिवादिनी स्वच्छ हाथो से न्यायालय नहीं आयी है। ऐसे में परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया गया है।

8. निश्चित रूप से अवर न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त निष्कर्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—203 में निहित विधिक प्रावधानों को देखते हुए विधिक दृष्टि से सही प्रतीत होता है। क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—203 में प्रयुक्त शब्दावली पर्याप्त आधार (Sufficient ground) से तात्पर्य यह है कि—

The Words " Sufficient ground " have been construed to mean the satisfaction that prima facie case is made out against the person accused by the evidence of witnesses entitled to reasonable degree of credit and not Sufficient ground of conviction. The purpose of the section is to ascertain whether there is evidence in support of the complaint so as to justify the issue of process. (S.W. Palanitkar Vs. State of Bihar, A.I.R. 2001 SC 2960). ऐसा ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Bhushan Kumar Vs. State NCT of Delhi, AIR 2012 SC 1747 एवं Nupur Talwar Vs. CBI, AIR 2012 SC 1921 के मामलों में भी अवधारित किया गया है। इसी प्रकार यदि अवर न्यायालय द्वारा साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में निष्कर्ष देते हुए यदि परिवाद निरस्त किया जाता है तो ऐसा आदेश विधिक दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। क्योंकि इस स्तर पर साक्ष्यों के Meticulous (सूक्ष्म) निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है और आरोपों की सत्यता के बाबत भी निष्कर्ष दिया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसा महेन्द्र सा बनाम स्टेट आफ झारखण्ड, 2003(1) जे.एल.जे.आर. 427 (झारखण्ड) एवं Gambhirsinh R. Dekare Vs. Fhalgunbhai Chimanbhai Patel. AIR 2013 SC 1590 के मामलों में अवधारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—203 के स्थान पर धारा—226 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में समाहित किया गया है और उसमें भी (**Sufficient ground**) शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में पारित विधिक सिद्धान्तों को धारा—226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सन्दर्भ में भी लागू किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में यदि प्रश्नगत् आदेश को देखें तो प्रश्नगत् आदेश विधि एंव तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं है। क्योकि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.07.2025 में

परिवादिनी एवं उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0–1 सौरभ पटेल व पी0डब्लू0–2 विजय सिंह पटेल के साक्ष्य के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, केवल विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं क्षेत्राधिकारी चायल द्वारा प्रस्तुत आख्या का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय परिवादिनी एवं उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण के बयान का अवलोकन नहीं किया गया है, जो कि निश्चय ही उपरोक्त समस्त विधि व्यवस्थाओं को देखते हुये विधिक दृष्टि से सही नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि निगरानीकर्ती रूपादेवी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. / परिवाद में कथन किया है कि दिनांक 21.07.2024 को समय करीब 08 बजे शाम को वह अपने दरवाजे पर बैठी थी तभी गांव के आकाश साइकिल से आया और उसके दरवाजे के सामने बने ब्रेकर से नाराज होकर गाली गलौज करने लगा। उसने मना किया तो मारने दौड़ा तो वह घर के अन्दर घुस गयी तब तक आकाश के परिवार के सरजू प्रसाद, बेनी प्रसाद, शिवम, सरिता देवी व अनारकली सब एक राय होकर उसके घर के घुसकर मारपीट किया और घर पर रखा हुआ सामान को भी तोड़फोड़ किया और फिर ब्रेकर को उखाकर फेंक दिया और कहे कि कही शिकायत किया तो जान से मार डालने की धमकी देते हुए चले गये। परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में भी यह कथन किया गया है कि जुलाई 2024 के महीने में शाम के 08 बजे आकाश का उसके घर के सामने बने ब्रेकर को लेकर विवाद हो गया था। वह घर में घुस गयी तो उसके घरवाले सरजू प्रसाद, बेनी प्रसाद, शिवम, सरिता व अनारकली उसके घर में घुस आये और उसके साथ मारपीट की तथा घर में रखा सामान भी तोड़ दिया। जिसका समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 सौरभ पटेल व पी0डब्लू0–2 विजय सिंह पटेल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. में किया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. / परिवाद में किये गये कथनों तथा परिवादिनी एवं साक्षियों के बयानों का सम्यक् ढंग से अवलोकन नहीं किया है और उपरोक्त उदघृत विभिन्न विधि व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रश्नगत् आदेश सही नहीं है।

9. अतः उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त यह न्यायालय इस निश्चित मत पर पहुंचता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित किया है। इसलिए प्रश्नगत् आदेश यथावत् रहने योग्य नहीं है और प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है और प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 18.07.2025 को खण्डित किया जाता है और विद्वान अवर न्यायालय को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:–

1. विद्वान अवर न्यायालय तलबी के बिन्दु पर निगरानीकर्ती / परिवादिनी को इस निर्णय में दिये गये सम्प्रेषण के आलोक में पुनः सुनकर विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

2. पत्रावली अविलम्ब अवर न्यायालय प्रेषित की जाए और निगरानीकर्ती/परिवादिनी अग्रिम कार्यवाही हेतु अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.07.2026 को उपस्थित हो।

दिनांक : 02.07.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 02.07.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.07.04 16:22:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court